संख्या-18/2025/131/सैंतीस-2-2025-1(3)/2019

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- जनवरी, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण की योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेशों में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3054/उ.नि.क्षे./लेखा-2-644/आ.भ.नि./निबलेट/24-25, दिनांक-28.01.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण की योजनान्तर्गत राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट बाराबंकी पर आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-2410/सैंतीस-2-2024-1(3)/2019, दिनांक-26.11.2024 तथा उक्त कार्य हेतु निर्गत रू0-230.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-1/2025/2628/सैंतीस-2-2024/001-1(3)/2019, दिनांक-03.01.2025 में त्रुटिवश अंकित "टाईप ।। आवास 06 नग, टाईप ।।। आवास 06 नग (जी0+2)" के स्थान पर "टाईप ।। आवास 04 नग, टाईप ।।। आवास 04 नग (जी0+1)" पढ़े जाने की सीमा तक उक्त शासनादेशों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासनादेश दिनांक-26.11.2024 एवं दिनांक-03.01.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-18/2025/131(1)/सैंतीस-2-2025-1(3)/2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।